कार्यालय परिचारी के मानदेय निर्धारण के संबंध में दिनांक 20.06.2019 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही :–

1. उपस्थिति – परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न।

2. बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यालय परिचारी के मानदेय में संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अन्य विभागों में भी कुछ कार्यालय परिचारी संविदा पर कार्यरत हैं। अतः बाजार दर को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त संविदा आधारित कार्यालय परिचारी को मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं किये जाने तथा एकरूपता लाने हेतु विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कार्यालय परिचारियों हेतु मासिक मानदेय समेकित रूप से 18,000/–(अठारह हजार रुपये) मैट्रिक शिक्षित परिचारी के लिए एवं 16000/– रुपये नॉन–मैट्रिक शिक्षित परिचारी के लिए पुनर्निर्धारित करने की अनुशंसा की जाती है। यह मानदेय दर 01 जून, 2019 से सभी विभागों पर प्रभावी होगी।

(एम. रामचन्द्रुडु),
अपर सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार

(मदन मोहन प्रसाद)
निदेशक (अन्वेषण),
वित्त विभाग, बिहार

(शिव शंकर मिश्र),
अपर सचिव,
वित्त विभाग, बिहार

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार

(डॉ. सुभाष शर्मा)
विकास आयुक्त,
बिहार।

बिहार सरकार
कार्यालय विकास आयुक्त, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 79. पटना, दिनांक– 20/6/19

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ. सुभाष शर्मा)
विकास आयुक्त, बिहार।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–5/विविध–20–20/2019 8591(5) /स्वा0, पटना, दिनांक :– 10/7/2019

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी ,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/7/19

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

अपर सचिव (प्र०-5) संचिका सं0-वि02-51/99-__________/वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना,दिनांक-

विषय :- बिहार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम तिमाही दिनांक 01.04.2019 से 30.06.2019 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8% (आठ प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-147, दिनांक 01.02.2019 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2018-19 के चतुर्थ तिमाही दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2019 तक की अवधि हेतु केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 8% (आठ प्रतिशत) लागू किया गया है ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के संकल्प-एफ संख्या-5(2)-बी.(पी डी)/2019, दिनांक 03 अप्रैल,2019 द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिनांक 01.04.2019 से 30.06.2019 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8% (आठ प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।

3. अतः सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दिनांक 01.04.2019 से 30.06.2019 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8% (आठ प्रतिशत) लागू होगी ।

4. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष,बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

..........2

ज्ञापांक-वि02-51/99-_____/वि0, पटना,दिनांक

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांक-वि02-51/99-555 /वि0, पटना,दिनांक - 4 - 6-19

प्रतिलिपि : सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, सामान्य भविष्य निधि निदेशालय,पंत भवन, पटना/ मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी(प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय) ।
M.B.
04-6-19

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–5/विविध–20–20/2019 858 (5) /स्वा0, पटना, दिनांक :– 10/7/2019

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी ,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/7/19
(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

संचिका सं0- वि0(27)पे0को0-78/2005 /वि0

बिहार सरकार
वित्त विभाग

पटना, दिनांक-

संकल्प

विषय :- लोक सभा/विधान सभा आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारण से हुई मृत्यु या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन कार्य में लगाए गए सरकारी/गैर-सरकारी कर्मियों की हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में देय मुआवजा की राशि एवं उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प सं0-2796 दिनांक-01.04.2009, संकल्प सं0-451 दिनांक-09.04.2014 एवं संकल्प सं0-608 दिनांक-07.05.2014 द्वारा किया गया था ।

2. भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-218/6/2019-EPS, दिनांक-10.04.2019 द्वारा पूर्व में अनुशंसित दरों में संशोधन एवं इस मद में होने वाले व्यय की देयता की सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा दी गई है, जो निम्नांकित है:-

(a)(i) An amount of Rs. 15 Lakhs as the minimum amount to be paid to the next of kin of the official in the unfortunate event of death of the official while on election duty.

(ii) If the death is unfortunately caused due to any violent acts of extremist or unsocial elements like, road mines, bomb blasts, armed attacks, etc. the amount of compensation would be Rs.30 Lakhs.

(iii) In the case of permanent disability, like loss of limb, eye sight, etc., a minimum exgratia payment of Rs.7.5 Lakhs would be given to the official (which would be doubled in the case of such mishaps being caused by extremist or unsocial elements as aforesaid).

(b)(i) The expenditure on account of payment of ex-gratia compensation to the polling personnel is wholly borne by Government of India during elections to Lok Sabha and by the State Government during election to Legislative Assemblies and shared on a 50:50 basis during simultaneous election to Lok Sabha and Legislative Assembly be the Government of India and concerned State Governments. The share of the Government of India is paid by

.....2

the ministry of Law, Justice & Company Affairs (Legislative Departments). (As explained vide Commission's letter No. 218/696 PS-II dated 08.10.1996).

(ii) It may be further clarified that in case of Lok Sabha elections, the payment of ex-gratia compensation shall be made by the State Government initially and the claims shall be made to the Government of India later on.

3. भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक-218/6/2019-EPS, दिनांक-10.04.2019 के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि-

(a)(i) निर्वाचन कर्त्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों के निर्वाचन कर्त्तव्य पर मृत्यु की स्थिति में 15 लाख रूपये देय होगा।

(ii) उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाईयों यथा रोड माइन्स, बम विस्फोट, शसस्त्र आक्रमण आदि में मृत्यु होने पर 30 लाख रूपये देय होगा ।

(iii) स्थायी विकलांगता यथा अंग भंग, अंधापन आदि होने पर 7.5 लाख रूपये देय होगा । परन्तु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में इस प्रकार की विकलांगता होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की दुगुनी राशि अर्थात 15 लाख रूपये देय होगा ।

(b) कर्मियों को अनुग्रह अनुदान लोक सभा चुनाव के लिए भारत सरकार द्वारा देय होगा एवं विधान सभा चुनाव के लिए राज्य सरकार द्वारा देय होगा । लोक सभा एवं विधान सभा का चुनाव एक साथ होने की स्थिति में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की देयता 50:50 की होगी ।

लोक सभा चुनाव के लिए अनुग्रह अनुदान प्रारंभ में राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा एवं तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उस राशि का दावा भारत सरकार (Ministry of Law, Justice & Company Affairs) से किया जाएगा ।

4. संकल्प संख्या-2796 वि0(2) दिनांक-01.04.2009, संकल्प सं0-451 दिनांक-09.04.2014 एवं संकल्प सं0-608 दिनांक-07.05.2014 के प्रावधान इस संशोधन के साथ प्रभावी रहेंगे ।

5. इसके प्रावधान लोक सभा आम निर्वाचन 2019 से प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

.....3

ज्ञापांक- वि0(27)पे0को0-78/2005 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक- वि0(27)पे0को0-78/2005 558 पटना, दिनांक- 06-6-19

प्रतिलिपिः-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी ई-गजट, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।
06-6-19

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः--5/विविध--20--20/2019 8576 /स्वा0, पटना, दिनांक :- 10/7/2019

प्रतिलिपिः-- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी ,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/19
(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

पत्रांक-भ०नि०मु०अभि०(पटना)के०विविध 8-57/2017 214 दिनांक 10/6/19

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-206-सह-पठित ज्ञापांक 8094(भ०) दिनांक 07.07.2017, संशोधित कार्यालय आदेश संख्या-265-सह-पठित ज्ञापांक 9845(भ०) दिनांक 06.11.2017 तथा पुनः संशोधित कार्यालय आदेश संख्या-383-सह-पठित ज्ञापांक 10468(भ०) दिनांक 04.10.2018 द्वारा सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र, पटना के परिसर में अवस्थित विभिन्न हॉल/सभागार के लिए निर्धारित किराया एवं शर्त्तों को यथावत रखते हुए 9:00 PM से 11:00 PM तक के लिए अतिरिक्त राशि के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरुपेण प्रावधान किया जाता है:-

क्र० सं०	स्थल	वर्तमान में प्रभावी किराया/जमानत की राशि (सामान्यतः 9:00 AM से 9:00 PM तक)	प्रस्ताव सामान्य किराया/जमानत के अतिरिक्त राशि (9:00 PM से 11:00 PM तक)
i.	ज्ञान भवन के भूतल पर अवस्थित बहुद्देशीय हॉल	(i) एकल उपयोग- ₹1,50,000/- प्रतिदिन (ii) बहुद्देशीय/प्रदर्शनी/वाणिज्यिक उपयोग-₹2,50,000/- प्रतिदिन (शर्त्त सहित)	(i) एकल उपयोग- अतिरिक्त अवधि में प्रति घंटा मूल किराया का 10% (दस) प्रतिशत अधिक राशि । (ii) बहुद्देशीय/प्रदर्शनी/वाणिज्यिक उपयोग- अतिरिक्त अवधि में प्रति घंटा मूल किराया का 10% (दस) प्रतिशत अधिक राशि ।
ii.	बापू सभागार (5000 क्षमता वाला)	एकल उपयोग- ₹2,50,000/- प्रतिदिन	एकल उपयोग-अतिरिक्त अवधि में प्रति घंटा मूल किराया का 10% (दस) प्रतिशत अधिक राशि ।
iii.	ज्ञान भवन के द्वितीय तल पर अवस्थित सभागार (800 क्षमता वाले)	₹1,75,000/- प्रतिदिन	अतिरिक्त अवधि में प्रति घंटा मूल किराया का 10% (दस) प्रतिशत अधिक राशि ।
iv.	ज्ञान भवन के प्रथम तल पर अवस्थित कमरा/हॉल/कन्फ्रेंस रूम	प्रति कमरा/कन्फ्रेंस रूम- ₹30,000/- प्रतिदिन (उपलब्धता - दो कमरा/कन्फ्रेंस रूम)	अतिरिक्त अवधि में प्रति घंटा मूल किराया का 10% (दस) प्रतिशत अधिक राशि ।
v.	ज्ञान भवन के तृतीय तल पर अवस्थित कमरा/हॉल/कन्फ्रेंस रूम	प्रति कमरा/कन्फ्रेंस रूम- ₹30,000/- प्रतिदिन (उपलब्धता - दो कमरा/कन्फ्रेंस रूम)	अतिरिक्त अवधि में प्रति घंटा मूल किराया का 10% (दस) प्रतिशत अधिक राशि ।

2. भवन निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश-383-सहपठित ज्ञापांक 10468(भ०) दिनांक 04.10.2018 के विभिन्न कंडिका द्वारा संसूचित शर्तें/Guideline यथावत रहेगी।

3. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

6/6/19

(अमित कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

अपर सचिव (प्र०-5)

प्रधान सचिव स्वास्थ्य का कार्यालय 14 JUN 2019 बिहार, पटना

9519 (PS) 20.6.19

50-5

6506 (5) 26/6/2019

ज्ञापांक- 5186 (म) पटना, दिनांक- 10/6/19

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी प्रधान सचिव/सचिव/माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुविद्/भू-सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

6/6/19

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 5186 (म) पटना, दिनांक- 10/6/19

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/6/19

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः--5/विविध--20--20/2019 856 (2) /स्वा0, पटना, दिनांक :-- 10/7/2019

प्रतिलिपिः-- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/7/19

(अंजनी कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

95 N816

पत्र सख्या :– जा0पा0एफ0–01–41/2019 3094

बिहार सरकार

(भविष्य निधि निदेशालय)

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक :– 12.6.19

विषय :– अंशदाता को सामान्य भविष्य निधि से भुगतान किये गये अधिकाई राशि की वसूली के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कुछ एक ऐसे मामले प्रकाश में आते है जिसमें मानवीय भूल अथवा अग्रिम अंकित नहीं होने की स्थिति में अधिकाई भुगतान हो गया हो, माननीय लोकायुक्त द्वारा ऐसे मामले के निष्पादन हेतु परिवाद संख्या– 2/लोक (राजस्व) 11/2016 श्री विष्णु शंकर तिवारी, सेवा निवृत राजस्व कर्मचारी के मामले में पारित आदेश में निम्न टिप्पणी अंकित की गयी है :–

"Provident Fund to the concerned employee after retirement or death is the solemn part of duty of the Government but at the same time the concerned officer (s) are also under an obligation to recover any excess amount paid without any undue delay. Since such employee is also a pensioner the liability of recovery of excess amount paid on the heads of Provident Fund should be started initially by way of issuance of show cause notice to him and extending an opportunity of personal hearing followed by a reasoned order giving a reasonable period for refund of the amount to the concerned employee and in the event of its non-refund by him steps must be taken to recover such amount with due interest either by way of recovery in instalment from his monthly pension or by initiating a Certificate proceeding."

अतः अनुरोध है कि सामान्य भविष्य निधि से अधिक भुगतान का कोई मामला संज्ञान में आता है तब माननीय लोकायुक्त द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय। साथ ही अपने स्तर से अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

अपर सचिव (प्र०-5)
प्रधान सचिव स्वास्थ्य कार्यालय
18 JUN 2019
बिहार, पटना

648 (5)
26/6/2019

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–5 / विविध–20–20 / 2019 8553 / स्वा0, पटना, दिनांक :– 10/7/2019

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव / सभी प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी ,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/7/19
(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

पत्रांक–बि0प्र0सु0मि0सो0/स्था.–39/2018 (खंड) सो0 935

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
अपर मुख्य सचिव–सह–मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव
सभी प्रधान सचिव/सचिव

पटना, दिनांक– 27/05/2019

विषयः– राज्य सरकार के सभी वर्ग के नियमित कर्मियों के सेवा मामलों एवं सेवानिवृत कर्मियों के सेवांत लाभ की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के सभी वर्ग के नियमित कर्मियों के सेवा मामलों एवं सेवानिवृत कर्मियों के सेवांत लाभ की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनायी गयी है । मंत्रिपरिषद की दिनांक–08.03.2019 की बैठक के मद संख्या–1 के रूप में इस नियमावली की स्वीकृति प्राप्त है । इसके संबंध में अवगत कराने हेतु दिनांक–05.04.2019 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सभी विभागों की बैठक भी आहूत की गयी थी जिसका संदर्भ ग्रहण किया जा सकता है ।

2– सेवा शिकायतों की सुनवाई विभाग एवं जिला में पदनामित किए गए 'सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी' द्वारा की जाएगी जबकि शिकायतो के निवारण हेतु 'उत्तरदायी पदाधिकारी' की अवधारणा है । उत्तरदायी पदाधिकारी वह पदाधिकारी होगा जिसके कार्यालय से संबंधित शिकायत होगी एवं जिसका निपटारा उनके द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा । शिकायतों के संदर्भ में प्रत्येक कार्यालय के कार्यालय प्रधान उत्तरदायी पदाधिकारी होंगे । सुविधानुसार छोटे–छोटे कार्यालयों को समूहबद्ध कर उनके जिला/अनुमंडल स्तर के नियंत्री कार्यालय को उत्तरदायी कार्यालय तदनुरूप उसके कार्यालय प्रधान को उत्तरदायी पदाधिकारी नामित किया जा सकता है ।

3– इस नियमावली का क्रियान्वयन शीघ्र प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । अतः अनुरोध है कि इस नियमावली के अंतर्गत दर्ज की जा सकने वाली शिकायतों के निवारण हेतु अपने–अपने विभाग से संबंधित उत्तरदायी पदाधिकारियों का वितरण संलग्न प्रपत्र में दिनांक–27.05.2019 तक निश्चित रूप से मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

अनु.–यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी) 27-5-19

अपर मुख्य सचिव–सह–मिशन निदेशक

D:\SANJAY- 19\MD.docx

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–5/विविध–20–20/2019 8545 /स्वा0, पटना, दिनांक :– 10/7/2019

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी ,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/7/19

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

राज्य सरकार के सभी वर्ग के नियमित कर्मियों के सेवा मामलों एवं सेवानिवृत कर्मियों के सेवांत लाभ की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण के प्रयोजनार्थ उत्तरदायी पदाधिकारियों की विभागवार सूची

विभाग का नाम .....

क्र. सं.	विषय जिनके संबंध में शिकायत दर्ज करायी जा सकेगी	जिला स्तर तथा उससे नीचे के कार्यालयों के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी	जिला स्तर से उपर तथा विभाग स्तर के कार्यालयों के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी
1	अपनी नियुक्ति से संबंधित मामले		
2	सेवा सम्पुष्टि से संबंधित मामले		
3	वेतन भुगतान एवं वेतन वृद्धि से संबंधित मामले		
4	प्रोन्नति, ए.सी.पी., एम.ए.सी.पी. से संबंधित मामले		
5	वरीयता निर्धारण से संबंधित मामले		
6	आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर शेष छुट्टियों की स्वीकृति से संबंधित मामले		
7	छुट्टी वेतन से संबंधित मामले		
8	देय भत्तों की स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित मामले		
9	चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित मामले		
10	सेवांत लाभ, जैसे—पेंशन, उपादान, ग्रूप बीमा, अव्यवहृत उपार्जित छुट्टी के बदले नगद भुगतान तथा सामान्य भविष्य निधि भुगतान से संबंधित मामले		

E MAIL पत्र संख्या :– जी0पी0एफ0–01–203 / 2018 2705

बिहार सरकार
(भविष्य निधि निदेशालय)
वित्त विभाग

प्रेषक,

निदेशक,
भविष्य निधि निदेशालय,
वित्त विभाग, पंत भवन, पटना ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव / सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक :– 31.5.19

विषय : सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम स्वीकृति के संबंध में ।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 2203 दिनांक 03.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा eGPF Web Portal से वार्षिक लेखा पूर्जा डाउनलोड कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा eGPF application पर verify कर अग्रिम निकासी की स्वीकृति हेतु सहमति दी गयी है। परन्तु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए भविष्य निधि कार्यालय द्वारा निर्गत लेखा पूर्जा की मांग की जा रही है।

अतः इस कार्यालय के पत्रांक 2203 दिनांक 03.05.2019 को संलग्न करते हुए कहना है कि डाउनलोड किये हुए लेखा पूर्जा को verify कर अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

अनु0 : यथाउपरोक्त

विश्वासभाजन,

निदेशक
भविष्य निधि निदेशालय

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–5/विविध–20–20/2019 8535 /स्वा0, पटना, दिनांक :– 10/7/2019

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी ,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/19

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

पत्र संख्या :- जी0पी0एफ0-01-203/2018 2203

बिहार सरकार
(भविष्य निधि निदेशालय)
वित्त विभाग

प्रेषक,

निदेशक,
भविष्य निधि निदेशालय,
वित्त विभाग, पंत भवन, पटना ।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार ।
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक :- 3.5.19

विषय सामान्य भविष्य निधि से अप्रत्यपर्णीय अग्रिम स्वीकृति के संबंध में ।

प्रसंग इस कार्यालय का पत्रांक 1071 दिनांक 23.02.2016

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा eGPF Web Portal पर उपलब्ध गणना विवरणी के आधार पर तकनीकी कारणों से अग्रिम स्वीकृति पर रोक लगाई गई थी।

पूर्व में ही eGPF Web Portal की तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया था। eGPF application में अंशदाता का विवरणी एवं लेखा पूर्जा देखने एवं प्रिन्ट करने के लिए viewing एवं Printing right सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को इस कार्यालय के पत्रांक 4044 दिनांक 11.07.2016 द्वारा पूर्व में ही दी जा चुकी है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि eGPF Web Portal से वार्षिक लेखा पूर्जा डाउनलोड कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा eGPF application पर verify कर पिछले वर्ष के अन्तशेष के आधार पर नियमानुसार अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

विश्वासभाजन,

3/5/19
निदेशक
भविष्य निधि निदेशालय

ज्ञापांक 2203 पटना, दिनांक : 3.5.19

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/5/19
निदेशक
भविष्य निधि निदेशालय

68

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या–21/बी०पी०एस०सी०(स्था०)-11/2018,सा०प्र०2655 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना, संख्या 2654 दिनांक 26-2-19 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

NOTIFICATION

Patna, Dated 26-2-19..........

No-21/B.P.S.C.(Estt.)-11/2018 Ka 2654 In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the "**Bihar Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1957 (amended as time to time)**"with immediate effect :-

AMENDMENT

(1) Proviso to regulation-7(C)(i) of the said regulations, 1957 shall be substituted by the following :-

" Provided that, it shall not be necessary to consult with the Commission in cases of the appointments to the posts of Doctor and Veterinary Doctor ; "

By the order of the Governor,

26.2.19
(Himanshu Kumar Rai)
Joint Secretary to Government.

No.-21/ B.P.S.C.(Estt.)-11/2018 Ka - 2655......Dated- 26-2-19.....

Copy forwarded to Finance Department, E-Gazette Section with C.D. in two copies with the request for publication to this in extra-ordinary issue of Bihar Gazette and to send its copies to this Department.

26.2.19
Joint Secretary to Government

No.- B.P.S.C.(Estt.)-11/2018 Ka - 2655.....Dated- 26-2-19....

Copy forwarded to All Departments/All Head of the Departments/Secretary, Bihar Public Service Commission/High Court, Patna/ A.G. Bihar, Patna/ General Administration Department (All Sections) for information.

26.2.19
Joint Secretary to Government

श्री विजयश्री
6/3/19

39452(HS)
05.3.19

234(2)
06/3/2019

Section -21 adhi -312

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–5/विविध–20–20/2019 852 (5) /स्वा0, पटना, दिनांक :– 10/7/2019

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी प्रभारी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी ,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/7/19

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।